an>

Title: Dr. Satyapal Singh called the attention of the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to the need to correct price fixation mechanism for sugarcane and other agricultural produces in the country.

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Madam Speaker, I call the attention of the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement* thereon:

"Need to correct the price fixation mechanism for sugarcane and other agriculture produces in the country."

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ दूं और यदि सब लोगों को स्टेटमेंट मिल गयी है तो इसको हम लेड-डाउन कर दें?

माननीय अध्यक्ष : हां, यदि सदस्यों को मिल गयी है तो ले कर दीजिए। पढ़िए, जल्दी से पढ़िए।

â€¦(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 31.07.2014 की स्थिति के अनुसार देश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 9252 करोड़ रुपए का बकाया है, जो वर्तमान चीनी मौसम 2013-14 के दौरान देय कुल राशि (57104 करोड़ रुपए) का लगभग 16.20 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश राज्य में निजी और सहकारी चीनी मिलों पर 5741 करोड़ रुपए का बकाया है जो गन्ना मूल्य के कुल बकाया का 29.61 प्रतिशत है। गन्ना मूल्य का बकाया मुख्य रूप से वर्तमान मौसम में गन्ने की आपूर्ति से संबंधित है। पिछले मौसमों का बकाया सामान्यतः मामलों के न्याय-निर्णयाधीन होने, ऋणदाता बैंकों द्वारा मिलों को प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अंतर्गत लिए जाने आदि के कारण है। वर्तमान मौसम में बकाया की स्थिति मुख्य रूप से चीनी की बिक्री से कम राशि प्राप्त होने के कारण उत्पन्न हुई है।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1996 में यह प्रावधान है कि गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए और ऐसा न हो पाने की स्थिति में 14 दिनों के बाद की विलम्बित अवधि के लिए बकाया राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस प्रावधान को लागू करने की शक्तियां ऐसी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई हैं जिनके पास आवश्यक फील्ड तंत्र उपलब्ध है। केंद्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गन्ना किसानों के बकाया का यथासमय भुगतान सुनिश्चित करने और दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह देती है।

3. गन्ना किसानों को पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का निपटान करने तथा उन्हें वर्तमान चीनी मौसम के गन्ना मूल्य का यथासमय भुगतान सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने दिनांक 03.01.2014 को चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम (एसईएफएएसयू-2014) अधिसूचित की है, जिसमें चीनी मिलों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में बैंकों द्वारा 6600 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण परिकल्पित है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दिनांक 28.02.2014 को एक अन्य स्कीम अधिसूचित की है जिसमें निर्यात बाजार के लिए लक्षित रॉ चीनी उत्पादन हेतु विपणन एवं संवर्धन सेवाओं के संबंध में प्रोत्साहन राशि की अनुमति प्रदान की गई है। इन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन राशि का उपयोग चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

4. उठाया गया अन्य मुद्दा चीनी के मूल्य निर्धारण तंत्र का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं तथा वे उपभोक्ता-वार विनियमित नहीं होते। किन्तु मूल्य वृद्धि से गरीबों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से खुले बाजार से चीनी की खरीद करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बीपीएल लाभभोगियों को इसकी आपूर्ति करने के लिए कहा है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार 18.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से राज्य सरकारों की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे खुला बाजार मूल्य से गरीब लोगों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ. सत्यपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पूर्ण रूप से समाधानकारक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार, माननीय मंत्री और इस सम्मानित सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं है बल्कि बहुत ज्वलंत, गंभीर और विस्फोटक परिस्थिति है। जिस प्रकार से माननीय मंत्री ने कहा है कि लगभग 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना किसानों का पैसा बाकी है। उत्तर प्रदेश में किसानों का 5000 करोड़ से ज्यादा बाकी है और मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत में लगभग 650 करोड़ रुपया बाकी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले सीजनों का पैसा नहीं दे सकते क्योंकि मैटर सब्जुडिस है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। शुगर कंट्रोल आर्डर में कहा गया है 15 परसेंट किसानों का ब्याज मिलना चाहिए अगर भुगतान 14 दिनों के अन्दर नहीं किया जाता। पर यह राज्यों के अधिकार में है लेकिन राज्य कुछ करते नहीं हैं। मिल मालिकों की बैलेंस शीट में इस बात को कभी दिखाया नहीं जाता है कि उनको किसानों को ब्याज भी देना है।

जहां तक सिफासु (SEFASU) स्कीम की बात है, तीन साल के लिए सरकार ने बैंकों को सॉफ्ट लोन देने के लिए दिखाया है, शुगर मिल मालिकों को यह दिया गया है किंतु किसानों को कुछ भी नहीं। यह हालत ऐसी है जैसे कोई भूखा आदमी रोड पर पड़ा हुआ मिल जाए, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए और अस्पताल में कहा जाए कि इसके इलाज पर जितना खर्च होगा, दे देंगे और बाद में जब भूखा आदमी अस्पताल से बाहर आ जाएगा तो क्या खाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में सरकार कुछ नहीं करती है।

मेरा कहना यह है कि यह केवल मुद्दा नहीं है, परिस्थिति बहुत गम्भीर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की हालत बहुत खराब है। केवल मात्र एक विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अंदर लगभग 280 लड़कियों की शादी इसलिए कैंसिल हो गई, लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। केवल एक स्कूल के अंदर 27 लाख रुपये फीस बाकी है। लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। लोग अपनी भैंसों, गायों के लिए खाने का सामान (फीड)नहीं खरीद पा रहे हैं और हम लोग केवल मात्र यहां पालिसी डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब तक वह इम्पलीमैन्ट नहीं होता, तब तक कोई फायदा नहीं है। हम शुगर मालिकों को पैसा देते हैं और भूल जाते हैं। मैं इस ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सबसे गम्भीर बात यह है कि परसों तीन दिन पहले यूपी शुगर मिल एसोसिएशन तथा इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने एक प्रेस कांफ्रेंस की और उन्होंने धमकी दी है कि इस बार हम सीजन में गन्ना मिल नहीं चलायेंगे। पहले मिल मालिकों से सरकार यह पूछे कि आप लोगों ने कितना पैसा लगाया था। जब आपने मिल चालू की या आप जो मिल चलाते हो तो आप लोगों ने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया। ज्यादातर पैसा जो आया है, वह हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आया है, हमारे बैंकों का पैसा है, जनता का पैसा है और आज वे हमें धमकी देते हैं कि मिल नहीं चलायेंगे।

तीसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ बैंकों ने रिट दायर की है, उसमें स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूपी कोऑपरेटिव बैंक हैं और उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार ने जो 32 लाख टन चीनी का स्टाक जमा किया है, उसे बेचा नहीं जा रहा है। अगर उसे बेचा जायेगा तो सबसे पहले जो पैसा दिया जायेगा वह बैंकों को दिया जायेगा और उसके बाद यदि थोड़ा बहुत बचेगा तो उसे मिल मालिक ले लेंगे। किसानों के बारे में कोई सोचने की बात नहीं है। यूपी सरकार कहती है कि हमारे पास जो चीनी का स्टाक है, उसका कोई खरीददार उपलब्ध नहीं है। किसान लोग इस बात के लिए आभारी हैं कि जिस प्रकार भारत सरकार से लोगों में उम्मीद जगी थी कि जो नई सरकार आ रही है, वह किसानों के हित का संरक्षण करेगी और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम सोफ्ट लोन दे रहे हैं। पिछले साल कांग्रेस सरकार ने 19 हजार करोड़ रुपये किसानों का माफ किया, इस पर सदन में चर्चा भी हुई थी। लेकिन वह 19 हजार करोड़ किसानों को नहीं मिला। यह 19 हजार करोड़ किन लोगों के पास गया, यह बैंकों के पास गया, बैंकों के अंदर जो नॉन-परफार्मिंग असैट्स हैं, उनमें चला गया। लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। मैं आपके माध्यम

से यह बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लगभग छः करोड़ किसान और मजदूर शुगर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। केवल यूपी में तीस हजार करोड़ रुपये का व्यवसाय है। हमारी सरकार रोजगार के अवसर खोलना चाहती है और मिल मालिक कहते हैं कि हम मिल बंद करना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात इस देश में यह है कि मिल मालिक कोर्ट में जा सकते हैं, उनका पैसा किसानों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। बैंक्स कोर्ट्स में जा सकते हैं और किसान दो-दो सालों से अपने पैसे के लिए अगर कोर्ट में जाना चाहता है तो उसके पास जाने के लिए पैसा नहीं है।

महोदया, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, जो इससे संबंधित हैं, आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। क्या कभी सरकार ने कारखानों के उत्पाद जैसे साबुन, कपड़े और जूते के भाव तय किये। फिर हम गन्ने का भाव क्यों तय करते हैं? क्या कभी हमने न्यूनतम मज़दूरी एक्ट, मिनिमम वेजिज एक्ट, मनरेगा जो किसान परिवार खेतों में काम करता है, क्या कभी उसके लिए लागू किया। हर साल बजट बनता है, हर साल बजट बनने से पहले जब सरकार पेश करती है, हम लोग इंडस्ट्रीज ग्रुप को बुलाते हैं, एसोचैम को बुलाते हैं, फिक्की को बुलाते हैं, क्या आज तक पिछले 67 सालों में कभी हमने किसानों को बुलाकर पूछा कि आप लोगों की क्या समस्या है, बजट में क्या किया जाए। हमने उनसे कभी इस बात को नहीं पूछा है। अभी राजू शेट्टी जी यहां नहीं हैं। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन बनता है। डा. स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर यहां चर्चा हुई। डा.रंगराजन कमेटी के ऊपर यहां बात हुई। मेरा सबमिशन सदन में इतना ही है कि इन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के अंदर ऐसे लोग आये, जो किसानों की समस्याओं को जानते हों और किसानों के घरों में पैदा हुए हों। ऐसे कितने लोग आज तक हुए हैं, जिन्हें किसानों के आयोग में बैठाया गया हो।

हम लोग चीनी रिकवरी की बात करते हैं। यूपी में रिकवरी बहुत कम है। यूपी में 9 परसैन्ट रिकवरी है, महाराष्ट्र में 11 परसैन्ट रिकवरी है, केरल में 7 परसैन्ट रिकवरी है। 67 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने गन्ना रिसर्च पर कितना पैसा खर्च किया है। 6600 करोड़ रुपये बैंकों को बिना ब्याज का पैसा देने के लिए मंत्री जी ने कहा है। हम बिना ब्याज का पैसा पांच साल के लिए देने के लिए तैयार हैं। क्या हम लोगों ने गन्ने की रिसर्च पर 1600 करोड़ रुपये खर्च किया है। हम लोगों ने आज तक गन्ने की नस्ल में सुधार क्यों नहीं किया? क्यों हम लोग उसकी नयी टैक्नोलॉजी नहीं लाए? अगर महाराष्ट्र के अंदर रिकवरी इतनी ज्यादा है तो यूपी के अंदर क्यों नहीं हो सकती है? सन् 1975 में ब्राजील के अंदर कहा कि वहां पर गन्ने से इथनॉल बनती है। पैट्रोल के अंदर उसकी ब्लेंडिंग (मिलाया जाना) की जाती है या एल्कोहल से वहां गाड़ियां चलाई जाती है। इसको 39 साल हो गए। सन् 2001 में तब के माननीय पैट्रोल मंत्री श्री राम नाइक ने कहा था कि इस भारत सरकार ने अभी तक चार कमेटियां बनाई हैं, छह टैक्निकल कमेटियां बनाई हैं। लेकिन आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर पैट्रोल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री का आपस में समन्वय नहीं हो पाया है कि हम कितना इथनॉन पैदा करेंगे। प्रतिवर्ष 144 बिलयन अरब रूपये का हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट (आयात)करते हैं। अगर हम इथनॉल को बनाते, इथनॉल से गाड़ियां चलाते, एल्कोहल से गाड़ियां चलाते तो बाहर के देशों पर हमारी जो निर्भरता है, वह खत्म होती और इस देश का स्वाभिमान बढ़ता। गन्ने का सीज़न शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र और यूपी में हर बार धरने होते हैं, हर बार डिमोंस्ट्रेशन होते हैं कि गन्ने का भाव तय करो। सरकार पंचवर्षीय योजना तैयार करती है। क्या हम पांच साल पहले उसका भाव तय नहीं कर सकते हैं कि अगले साल किसानों को क्या भाव मिलेगा। वह गन्ना बोएगा या नहीं बोएगा, यह उसकी इच्छा है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों एमआरपी, एमआरपी, एसएजी करते हैं? हम इसको 5 साल या 2 साल पहले तय क्यों नहीं करते हैं? यहां पर माननीय मंत्री जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर कमेटी की एक टास्क फोर्स को मुझे अटैंड करने का मौका मिला। उसके अंदर इस देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। मैंने वहां पर कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी कृषि नीति, हमारी कृषि शिक्षा, हमारे रिसर्च, हमारे डिवेल्पमेंट, हमारे फर्टीलाइज़र, सब का सब इस देश के हिसाब से नहीं है। जैसा विदेशी लोगों ने तय किया, वैसा ही हमने किया। आज हमारे किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? आज हमारे लोग भूखे क्यों मरते हैं? जो दूसरों के पेट को भरता है वह भूखे पेट क्यों रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की कृषि नीति इलीट लोगों के लिए बनी हुई है, संभ्रांत लोगों के लिए बनी हुई है। भारतीय कृषि के ऊपर एक किताब आई है कि " How the other half dies" by Sussan George मतलब आधे लोग कैसे भूखे मरते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। मैडम, जैसे नमक के बिना भोजन नहीं बनता, वैसे ही चीनी के बिना भी नहीं बन सकता। लेकिन चीनी कोई बल्क आइटम नहीं है। आलू और सब्जी की तरह हम उसको खाते नहीं हैं। हमारे देश के अंदर जितनी चीनी का उत्पादन होता है, उसका लगभग 35 पर्सेंट पीडीएस (Public Distribution System) में जाता है। लेकिन 65 प्रतिशत बल्क में जाती हैं, कमर्शियल कम्पनियों को जाता है जैसे केक बनाने में जाती है, पेस्ट्री बनाने में जाती है, बिस्किट बनाने में जाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाने में जाती है। एक गरीब आदमी जिस भाव से चीनी खरीदता है, उसी भाव से ये कम्पनियां हज़ारों क्विंटल चीनी खरीदी जाती है। मेरा कहना यह था कि हम शुगर का डिफरेन्शियल प्राइज़ फिक्सेशन मैकेनिज़्म क्यों नहीं कर सकते हैं? जो लोग हज़ारों क्विंटल चीनी खरीदते हैं, हम उनसे ज्यादा दाम क्यों नहीं चार्ज कर सकते हैं? जैसे एलपीजी के अंदर है कि जो चार सिलेंडर खरीदेगा उसको सब्सिडाइज़ रेट मिलेगा और जो 12 सिलेंडर ज्यादा खरीदेगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए जो बल्क में चीनी खरीदता है, उसके लिए ज्यादा दाम रखे जाएं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैडम, यह केवल मुद्दा नहीं है, यह बहुत ही विस्फोटक समस्या है। कल को ये भूखे लोग, अगर रोड़ पर आ गए तो बहुत मुश्किल होगी। ये मात्र किसानों की आर्थिक समस्या का प्रश्न नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है। यह कानून व्यवस्था का प्रश्न है। कल को हम इसको काबू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मुझे थोड़ा और समय दें। ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि जितनी चीनी होती है, मेरे पास उसका पूरा रिकार्ड है, साल में एक लाख बीस हज़ार करोड़ रूपये का टर्न ओवर है इन कम्पनियों का, क्या हम उनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से नहीं बेच सकते हैं। मेरा एक सुझाव है, हमने बहुत सी चीज़ों पर सैस (Cess) लगाया है जैसे एजुकेशन सैस है, पैट्रोल सैस है, एनवायरमेंट सैस है, तो क्या हम शुगरकेन के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, चीनी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। हम मात्र पांच पर्सेंट सैस लगा दें तो भारत सरकार को पांच हज़ार करोड़ रूपये का फायदा होगा। हम पांच हज़ार करोड़ रूपये किसानों को दे सकते हैं।

मैडम, आज हम लोग शुगरकेन को केवल शुगर से जोड़ते हैं। हम शुगरकेन का वैल्यू एडिशन क्यों नहीं करते हैं? उससे बगास (खोई) से पावर बनती है, उससे इथिनॉल बनेगा, उससे एल्कोहल बनेगी, उससे दूसरी चीज़ बनेगी। इस तरह से उसको वैल्यु एडिशन मिलेगा। जब उसका वैल्यु एडिशन करेंगे तो किसानों का फायदा होगा, मिल मालिकों को फायदा होगा।

महोदया, मैं मिल मालिकों के खिलाफ नहीं हूं। मेरा उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। मैंने तीस साल से ज्यादा कानून व्यवस्था का काम किया है। मुझे यह डर लगता है कि अगले कुछ दिनों में कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो सकता है तो हम कैसे उसे हल करेंगे?

एक माननीय सदस्य : आप इस चर्चा को नियम 193 के तहत करने की रिक्वेस्ट कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : अब इनकी बात कंप्लीट हो गयी है।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूं। हमारे बागपत के अंदर मलकपुर में एक मोदी इंडस्ट्रीज है, जिन्होंने इस मिल को लगाया है। जब से मिल लगा है, वर्ष 1998 से हर साल, कभी उसने किसानों को समय पर पैसा नहीं दिया, एक-दो साल के बाद वह पैसा देता है और मैंने खुद वर्ष 2012 और 2013 की उसकी बैलेंस शीट का अध्ययन किया है। 231 करोड़ रूपए, क्या उन्होंने कंपनी फ्रॉड किया है, मिल से पैसा निकालकर दूसरी कम्पनियों में पैसा लगाया है।

मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें 420 IPC का मुकदमा दायर होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज बीमार हो जाती है, इंडस्ट्रीज (उद्योग) सिक हो जाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट (उद्योगपति) कभी बीमार नहीं होता है, उसके ऐशो-आराम में कभी कोई कमी नहीं आती है। वे बीआईएफआर में जाते हैं, वे सीडीआर के अंदर जाते हैं, किसान बेचारा कहां जाएगा, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापारियों के लिए फिक्की है, किसानों के लिए कोई फोरम नहीं है। यह सदन ही किसानों के लिए कुछ कर सकता है। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि हम लोग इसको एक व्यवस्था का प्रश्न मानें, इसे हम केवल एक आर्थिक प्रश्न न मानें। माननीय मंत्री जी, यह न मानें कि शुगर का प्राइस मार्केट फिक्स करता है या यह सबज्युडिस मैटर है, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। इससे व्यवस्था बिगड़ी जाएगी। इस देश के 65 प्रतिशत लोग अभी खेती पर अवलंबित हैं, अगर उनके बारे में हमारी प्रायोरिटी नहीं है, उनके बारे में हमारी प्राथमिकता नहीं है और गरीबों के लिए प्राथमिकता नहीं है तो फिर हमारी प्राथमिकता कहां है? महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कृष्णा राज।

लम्बा भाषण नहीं देना है। केवल एक-एक क्लेरिफिकेशन पूछना है।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सम्पूर्ण देश में गन्ने के भुगतान का कुल 10,925.46 करोड़ रूपए बकाया है। हमारे उत्तर प्रदेश में सात हजार करोड़ रूपए का भुगतान बकाया है। वर्ष 2011-12 में 107.26 करोड़, वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 में क्रमशः 31.24 करोड़, 6,737 करोड़ रूपए, इस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में इतना धन गन्ना किसानों का बकाया है। मैंने यह देखा है कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। इतनी दयनीय स्थिति को मैंने देखा है।

मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि सम्पूर्ण देश के साथ-साथ हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए। यह हमारी आपसे अपेक्षा है।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I wish to put my questions directly and request the hon. Minister to reply to the same.

The critical issues that plague Indian agriculture, at present, are the knowledge deficit and infrastructure deficit, especially in the rural areas. Problems relating to irrigation infrastructure, market infrastructure and transport infrastructure add significant costs to farmers' operations.

So, I would like to know from the hon. Minister as to how he is planning to address this.

Secondly, the CAG has observed in his Report No. 7 of 2013 that while determining the cost of production for each crop, the Commission for Agriculture Costs and Prices followed a set procedure. No specific norm was however followed for arriving and fixing a Minimum Support Price over the cost of production leading to large year on year variation.

The difference of All India weighted average cost of production and the MSP fixed by the Government of India during the period 2006-07 and 2011-12 varied widely between 29 per cent and 66 per cent in case of wheat and between 14 per cent and 60 per cent in case of paddy.

Cultivation costs vary widely from one region to another. They are usually far higher in States such as Punjab, Haryana and Andhra Pradesh due to higher wages, land value and input costs while they are lower in other States. I would like to know from the hon. Minister as to how he is going to reconcile both of these things in fixing the Minimum Support Price.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, डॉ. सत्यपाल सिंह जी ने जो विषय उठाया है, मैं उस सारे विषय से अपने को संबद्ध करता हूँ। मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा।

उत्तर प्रदेश में विशेषकर चीनी मिल, सरकार और बैंक अधिकारी - इनका एक ऐसा गठजोड़ बन गया है जो असंगठित किसानों का पूरी तरह से शोषण करता है। मैं मिल का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। मैं बैंक का नाम ले रहा हूँ - ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। मिल के अधिकारी बैंक के अधिकारियों से मिलीभगत करके फर्जी तरीके से किसानों की ज़मीनों के कागज़ात का उपयोग करके किसानों के नाम पर सस्ते ब्याज पर ऋण ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस अनेक वर्षों से चली आ रही है, अखबारों में इसके विषय में छपता रहता है। चार प्रतिशत की जो दर है, उस पर उनको 12 प्रतिशत के स्थान पर ऋण मिल जाता है और यह सौ करोड़, सवा सौ करोड़, डेढ़ सौ करोड़ की ट्यून का होता है। इसमें 100-200 किसानों के नाम तो ठीक होते हैं, बाकी के सब फर्ज़ी नाम होते हैं। बैंक के अधिकारी, चीनी मिल के मालिक और सरकार - तीनों इसमें मिले हुए हैं। जो किसान का भुगतान नहीं कर रहे हैं, किसान की ही ज़मीन का उपयोग करके वे ऋण लेते हैं। इनकी जाँच की जाए और इनको बाध्य किया जाए। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे किसान का समय से भुगतान करें अन्यथा जैसी आशंका व्यक्त की गई है, विस्फोटक स्थिति है, बहुत तकलीफदेह स्थिति है, इसका समाधान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : हुकमदेव नारायण यादव जी, केवल एकाध प्रश्न, लंबा भाषण नहीं देना है।

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मैं केवल समस्या के निदान के लिए दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि किसानों को सूद समेत पैसे का भुगतान मिल जाते नहीं करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करे और सभी मिल मालिकों को जेल में बंद करे जैसे किसानों को बंद करते हैं।

दूसरी बात, खेती के उत्पाद की कीमत सरकार तय कर देती है लेकिन कारखाने के उत्पाद की कीमत तय नहीं करती है। हमारी कीमत कछुए की चाल से चले और उनकी कीमत घोड़े की चाल से दौड़े, तो हम औद्योगिक माल खरीदते समय मरते हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण आयोग बनाया जाए जो औद्योगिक माल की कीमत निर्धारित करे और लागत मूल्य से डेढ़ गुना से ज़्यादा पर उद्योग का माल मार्केट में न बिके जिससे किसान बच सकें।

माननीय अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी, इस पर आपको इंटरवीन करना है।

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदय, कृषि जिंसों के लिए सरकार की मूल्य नीति में उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने पर विचार किया जाता है ताकि उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपबंध कराकर उच्चतर पूँजी निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के विचारों तथा अन्य संबंधित कारकों पर विभिन्न कृषि जिंसों के लिए समर्थन मूल्य का निर्णय करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। इसमें शामिल हैं - उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान उत्पादन मूल्य में समानता, बाज़ार मूल्यों में प्रवृत्तियाँ, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर-फसल मूल्य समानता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मूल्य की स्थिति तथा अदा किए गए मूल्य तथा किसानों द्वारा प्राप्त मूल्यों के बीच समानता। खेती उत्पादन की लागत में सभी अदा की गई लागतें शामिल हैं जिसमें किराये पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम तथा पंपसैटों के संचालन आदि के लिए डीज़ल और विद्युत की लागत सहित बीजों, उर्वरकों, खादों, सिंचाई प्रभारों जैसे सामग्री आदानों के उपयोग पर नकद एवं सामान्य के रूप में व्यय के अतिरिक्त पट्टे पर दी गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया भी शामिल है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग को 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की सिफारिश करती है। गन्ना, जिसके लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 22 फसलें शामिल की गयी हैं। यह फसलें हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिल्के सहित मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों के बीज, कुसुम्भ, पटसन एवं खोपरा न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों के उत्पादन, उत्पाद के लिए उस समय प्रस्तावित न्यूनतम गारण्टी मूल्य के अनुरूप होता है, जब बाजार मूल्य उस स्तर से कम हो जाते हैं। जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है, तब किसान इस मूल्य पर उत्पाद को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है।

महोदय, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इस बार बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने विस्तार से राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की जो घोषणा की है, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठता के सम्बन्ध बना कर हम इस काम को करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इनका पहला सवाल किसान के बकाये के बारे में है। इसमें दो मत नहीं है कि किसान का बकाया जब हम आए थे तो 13 हजार करोड़ रुपए था। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में 7261 करोड़ रुपए बकाया था। 31 जुलाई, 2014 तक यह घट कर 5741 करोड़ रुपया रह गया है। सरकार के द्वारा जो भी प्रयास हो रहा है, हम उसी प्रयास को कर रहे हैं। हमारा काम अलग है और राज्य सरकार का काम अलग है। हम एफआरपी तय करते हैं। हमारा काम है कि किसान की उपज का दाम तय हो और वह कैसे तय होता है, इस बारे में कृषि मंत्री जी ने बतलाने का काम किया है। हम अपने तमाम सदस्यों से जो किसान रहे हैं और हम शुरू से कहते रहे हैं कि उस समय भी नारा लगता था-

'करखानियां दामों का कीमत आने खर्च से डयोढ़ा हो।

अन्न के दाम की घटती-बढ़ती आने-सेर के भीतर हो।'

यह नीति का विषय है कि यदि कारखाने का मालिक अपना दाम तय करते हैं, तो किसान क्यों नहीं अपनी लागत के अनुसार अपनी उपज का दाम तय कर सकता है। लेकिन केंद्र सरकार का जो दायित्व है, जैसे पिछली बार चीनी का सरकार ने 210 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था, इस बार हमने 220 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकार का काम गन्ने के मूल्य का भुगतान करवाना है। उसके बाद जैसा हमने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि राज्य सरकार को सारे के सारे पावर हैं और 14 दिनों के अंदर मिल मालिक को पैसे का भुगतान करना चाहिए। अगर मिल मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर 15 परसेंट की दर से सूद लगेगा। अगर इसके बाद भी अगर वह भुगतान नहीं करता है तो राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है। इसमें भारत सरकार से जितना बन पा रहा है, वह भारत सरकार करती है चाहे वह इस पक्ष की हो या उस पक्ष की हो। पीडीएस से लेकर हमारा जो सिस्टम है, उसमें हम यहां से पैसा देते हैं। जैसा अभी एक साथी ने कहा कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो कोका कोला वाले हैं, उनसे आप अधिक दाम क्यों नहीं लेते हैं। चीनी का मूल्य हम तय नहीं करते हैं। चीनी का मूल्य बाजार तय करता है। हम सिर्फ गरीब लोगों के लिए तय करते हैं। जो बीपीएल में हैं, बहुत राज्यों में तो बीपीएल को दिया ही नहीं जाता है। बिहार वगैरह राज्य में तो दिया ही नहीं जाता है, लेकिन जहां-जहां बीपीएल के परिवारों को दिया जाता है, उन्हें 13.50 पैसे की दर से दिया जाता है और उस पर हम सब्सीडी के रूप में 18.50 पैसे देते हैं। लेकिन जो ओपन मार्केट है, वह खुला हुआ है कि किस दाम पर कोका कोला लेता है या किस दाम पर कोई दूसरा लेता है, उस बारे में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है।

इसमें हम लोगों ने अभी तक चार सहूलियतें देने का मन बनाया है और दे भी रहे हैं। एक इम्पोर्ट ड्यूटी के संबंध में है। अभी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, वह अभी 15औ है। हम ने विचार किया है कि उसे बढ़ाकर 15औ से 40औ किया जाए। लेकिन उसमें हमें इस बात का डर है कि ज्यों ही इसे 40औ करेंगे, मार्केट में चीनी का दाम चार-पांच रुपये किलो बढ़ जाएगा। हम तो वह किसानों के लिए करेंगे, लेकिन वह हमारे ही खिलाफ़ जाएगा।

उसी तरह से, एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात है। अभी वह 3,300 रुपये है। हमने उसे दो महीने के लिए सितम्बर तक बढ़ाया है और बढ़ाकर उसे 3,370 रुपये करने का काम किया है।

महोदया, अभी हमारे एक साथी इथेनॉल के संबंध में कह रहे थे। यह बात सही है कि विदेशों में, ब्राजील में इथेनॉल 84औ तक मिलाया जाता है। हमारे यहां यह दो प्रतिशत था। हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर से बातचीत की और वे इस पर राज़ी हो गए हैं। हम लोग इसे 10औ तक मिलाने की छूट दे रहे हैं।

चौथी सहूलियत सॉफ्ट लोन के संबंध में है कि ब्याज रहित कर्ज़ दिया जाए। उसमें अभी 6,000 करोड़ रुपये तक सैंक्शन हो गया है। उसमें अभी तक 1,000 करोड़ रुपये बचे हुए हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो अगले और दो सालों के लिए हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन, जरूरत इस बात की है कि पहले यह हो जाए।

जहां तक मिल मालिकों को जेल भेजने का सवाल है, मिल मालिकों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का सवाल है, यह सारा का सारा अधिकार राज्य सरकार को दिया हुआ है। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि जो-जो राज्य डेवलप्ड हैं, जैसे महाराष्ट्र है, अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहां एक क्विंटल गन्ना में 11 किलो चीनी निकलती है। अगर बिहार में देखेंगे तो यह मात्रा सात-आठ किलो तक भी नहीं होती है। किसी-किसी एरिया में मिल मालिक किसानों से यह तय कर लेते हैं कि यहां आप इस फसल को उपजाइए, हम इसे लेंगे। लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश, बिहार में आज क्या है? उत्तर प्रदेश में भी यह देखा जाता है कि मिल मालिकों के सामने, फैक्टरी के सामने बैलगाड़ी पर अपनी फसल लेकर किसान चार-चार दिनों तक खड़े रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उसमें से 25औ फसल तो वैसे ही सूख जाता है।

एक मामला वेरायटीज़ के संबंध में भी है। जो बढ़िया वेरायटी था, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब उस प्रतिबंध को हटाने की कार्रवाई की गयी है। इसलिए हमने कहा कि हमें हर स्तर पर इसे देखने की आवश्यकता है। इस संबंध में हम स्वयं चिंतित हैं। अगर गन्ना किसान सड़क पर उतर जाएं या मिल मालिक ही हड़ताल कर दें और कल यदि पैदावार कम हो जाए तो फिर तो इसका दाम बढ़ ही जाएगा। चीनी के मामले में यही होता है कि हर तीन सालों के बाद जब चीनी की पैदावार ज्यादा हो जाती है और उसका मार्केट में दाम कम हो जाता है तो गन्ना किसान दूसरे क्रॉप की ओर चले जाते हैं। फिर इसके बाद जब चीनी का उत्पादन घट जाता है तो दाम बढ़ जाता है। हम इस को कैसे बैलेंस करें, यह हमारे लिए सब से महत्वपूर्ण सवाल है।

हम तो किसान के परिवार से आते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि मिल-मालिकों की ऐसी स्थिति बन जाए कि वे पैसा न दे सकें। हम गन्ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रुपये प्रति क्विंटल तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तय किया गया कि किसानों को 290 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। यह उन्हें मिलना चाहिए, नहीं तो यह तय ही नहीं होना चाहिए। बिहार में यह कहा गया कि मिल मालिक 265 रुपये देगा। अगर मिल मालिक देगा तो यह देखना चाहिए कि वह देने की स्थिति में है या नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सामने ये सारी समस्याएं हैं।

हमारी भावना किसान के प्रति भी है और मिल मालिक के प्रति भी है। हम उन से आग्रह भी करेंगे कि वे जो बार-बार यह धमकी देते हैं कि हम मिल नहीं चलाएंगे, हम इसे बंद कर देंगे तो अंततोगत्वा इस से किसका घाटा होगा? इस से राष्ट्र को घाटा होगा। इसलिए हमारे जो इम्पॉर्टेन्ट मिनिस्टर्स थे, हमने उन से बातचीत की। यहां मेनका जी बैठी हुई हैं, कृषि मंत्री राधा मोहन बाबू बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ-साथ, गडकरी जी, बालियान जी, कलराज मिश्र जी इत्यादि सभी लोगों को बुला कर हम ने बातचीत की जिस से समस्या का निदान हो सके। उसके तहत जो तीन-चार फॉर्मूला था, हम ने उसे लागू किया, उसकी घोषणा की। हम ने मिल मालिक को कहा कि आप को सुविधा मिलेगी। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि ये लोग तो पैसा ले लेते हैं, लेकिन वे किसानों को नहीं देते हैं। ऐसी बात इस बार नहीं है। उनको बैंक के माध्यम से पैसा मिलेगा और वह पैसा सीधे किसानों के खाते में ही जाएगा। दूसरी जगह वे इधर-उधर नहीं कर सकते हैं, वह उनको करना पड़ेगा। लेकिन हमने यह भी कहा है कि हम ये सहूलियतें भी पूर्णरूपेण तब देंगे, जब मिल-मालिक आ करके इस बात की गारंटी दे, वह जाकर किसानों की बकाया राशि का भुगतान करेंगे। इसके लिए हमने 14 तारीख को बैठक भी बुलाई है। उसमें मिल-मालिक भी रहेंगे, किसान के प्रतिनिधि रहेंगे, जो एस्मा एवं कोऑपरेटिव के हैं।

हम चाहते हैं कि एक बार बैठ करके इस समस्या का हल किया जाए, लेकिन हम राज्य सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि राज्य सरकार कानून के अंतर्गत अपनी कार्यवाही करे। इस बात को देखे कि जो किसान की बकाया राशि है, उसकी बकाया राशि महीने-दो महीने के अंदर किसान को मिल जाए, यह हम राज्य सरकार से अपील करना चाहेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल आपने इस पर बोला था।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है।...(व्यवधान) राज्य सरकार का क्या दायित्व है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है, अब यह विषय खत्म हो चुका है।

जीरो ऑवर - श्री रामदास तड़स।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने बोला है कि इसे देख रहे हैं, आप क्यों चिन्ता करते हो?

â€¦(व्यवधान)